

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

72 / 2020
2-11-2020

- 1-रामकेश पुत्र कल्याण मीणा निवासी मीणाओं की झोपड़ियाँ-बनेटा तह० उनियारा जिला-टोंक राज०
- 2-महावीर पुत्र कल्याण मीणा निवासी मीणाओं की झोपड़ियाँ-बनेटा तह० उनियारा जिला-टोंक राज०
- 3-मनराज पुत्र कल्याण मीणा निवासी मीणाओं की झोपड़ियाँ-बनेटा तह० उनियारा जिला-टोंक राज०

-अपीलान्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार बनेटा तह० उनियारा जिला-टोंक राज०

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०टि०एक्ट 1955 विरुद निर्णय नायब तहसीलदार बनेटा
दिनांक 28-9-2020

उपस्थिति - (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री सै० मजहर आलम एडवोकेट राजकीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 24-2-2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बनेटा द्वारा दिनांक 28-9-2020 को अपीलान्ट्स को आराजी ख०न० 2704 रकबा 0.85 हैक्टर ग्राम मीणो की झोपड़ियाँ-बनेटा स्थित भूमि से बेदखल करने, फसल को कब्जा राज लेकर नीलामी की कार्यवाही करने का आदेश पटवारी/गिरदावर हल्का को दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिये नोटिस की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी ख०न० 2704 रकबा 0.85 हैक्टर ग्राम मीणो की झोपड़ियाँ-बनेटा तहसील उनियारा उसके दादा हाथीड़ा की कब्जे काशत की भूमि थी जिस पर उनका कब्जा काशत था उसके बाद अपीलान्ट का कब्जा काशत चला आ रहा है, इस वर्ष अपीलान्ट्स ने तिल की फसल काशत की थी। यह भूमि अपीलान्ट्स के पूर्वजों व पिता की खातेदारी में लग गई थी परन्तु सेटलमेंट ने बिना किसी अधिकार के सिवाय



जिला कलेक्टर
टोंक



करदी थी जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने एक दावा भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा में उनवानी रामकेश बनाम मोहनलाल वगैरह वाद सं0 123/2019 प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है तथा उनके द्वारा सरकारी /सिवायचक भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है बल्कि यह भूमि अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि है। गाँव के व्यक्तियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष प्रार्थना पर प्रस्तुत कर बताया कि इस भूमि पर उनका गत 20-25 साल से कब्जा काशत रहा है जिस पर गत वर्ष प्रभावशाली लोगों ने कब्जा करने की नीयत से चीरे गाड़ दिये तथा अनाधिकृत प्रवेश कर चददर डाल लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे, उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट उनियारा द्वारा रेस्पोडेण्ट्स को अपीलानी आदेश के जरिए यह निर्देश दिया कि अतिक्रमियों को आराजी ख0न0 2704 रकबा 0.85 हैक्टर ग्राम मीणो की झोपड़ियाँ-बनेठा स्थित भूमि से बेदखल करने,फसल को कब्जा राज लेकर नीलामी की कार्यवाही करें। यह भूमि गलत रूप से सिवायचक की गई है, परन्तु किसी प्राईवेट व्यक्ति को भूमि से किसी को बेदखल कराने का अधिकार नहीं है। धारा 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के प्रावधान बने हुए हे कि पटवारी द्वारा अतिक्रमियों की शिकायत तहसीलदारा के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अतिक्रमियों को सुनवाई का नोटिस देकर कानूनी प्रक्रिया अपनाकर बेदखल किये जाने का निर्णय किया जा सकता है। इस प्रकार साधारण प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा बेदखल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। तथाकथित आदेश की क्रियान्विति में रेस्पोडेण्ट द्वारा दिया गया आदेश प्रारम्भतः ही अवैध एवं शून्य आदेश है, क्योंकि उपखण्ड मजिस्ट्रेट के आदेश तथा रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त अवैध आदेश की पालना में दिया गया आदेश 28-9-2020 गैर कानूनी है तथा चलने योग्य नहीं है, ऐसा आदेश न्याय व कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट्स के विरुद्ध प्रारम्भ की गई कार्यवाही अपास्त की जावे।

पेरोकार सरकार ने अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने आराजी ख0न0 आराजी ख0न0 2704 रकबा 0.85 हैक्टर ग्राम मीणो की झोपड़ियाँ-बनेठा स्थित भूमि पर अतिक्रमण कर तिल की फसल काशत की थी जिस पर गाँव के कुछ लोगों सम्पत बेवा किशनलाल, भवानीशंकर, सुखराम, छोटू वगैरह द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट उनियारा के समक्ष उपस्थित होकर प्राथना पत्र पस्तुत किया कि हमारे कब्जे काशत भी भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अनाधिकृत प्रवेश करके चीरे गाड़ कर चददर डाल दिये हैं और मना करने गये तो मारपीट पर अमादा हैं। जबकि उक्त भूमि पर हम लोग 20-25 वर्षों से काबिज है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तनशील में भी अंकन हो रहा है। अतः भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट उनियारा ने आदेश दिये कि नायब तहसीलदार बनेठा नियमानुसार अतिक्रमी की बेदखली रिपोर्ट पेश करें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट उनियारा के आदेशों की पालना में नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक को अपीलान्ट्स को विविदित भूमि आराजी ख0न0 2704 रकबा 0.85 हैक्टर ग्राम मीणो की झोपड़ियाँ-बनेठा से बेदखल करने,फसल को कब्जा राज लेकर नीलामी की कार्यवाही करने का आदेश दिया है। विविदित भूमि पर बोई हुई तिल की फसल को कब्जा राज लेकर हल्का पटवारी की सपुर्दगी मे लेने के पश्चात भी अपीलान्ट्स फसल काट कर ले गये हैं। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया है कब्जा राज लेने के बाद भी अपीलान्ट्स दिनांक 5-10-2020 को बलपूर्वक काट कर ले गये हैं। जिसके सम्बन्ध में नायब तहसीलदार ने



जिला कलेक्टर
दंड

भू0अ0निरीक्षक बनेठा/पटवारी को पत्र क्रमांक 795-796 दिनांक 5-10-2020 को थानाधिकारी बनेठा में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया है जो सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा आदेश दिनांक 28-9-2020 से अपीलान्ट्स को आराजी ख0 नं0 2704 रकबा 0.85 हैक्टर ग्राम मीणो की झोपड़ियाँ-बनेठा पर अतिक्रमण कर तिल की फसल काशत करने पर भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जाराज लेकर फसल नीलामी का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने उक्त आदेश व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से एवं राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट के पश्चात सम्पूर्ण रूप से विनिश्चय कर साक्ष्य का अवलोकन कर कानूनन रूप से आदेश दिया है, जो उचित एवं न्यायसंगत है। कब्जा राज लेने के बाद भी अपीलान्ट्स दिनांक 5-10-2020 को बलपूर्वक फसल काट कर ले गये हैं, इसके सम्बन्ध में नायब तहसीलदार ने भू0अ0निरीक्षक बनेठा/पटवारी को पत्र क्रमांक 795-796 दिनांक 5-10-2020 को थानाधिकारी बनेठा में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स ने विवादित भूमि पर बोई गई तिल की फसल कब्जा राज लेने के पश्चात भी फसल काट कर ले गये हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का आदेश दिनांक 28-9-2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-2-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोक